भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-308

उत्तर देने की तारीख-02/02/2026

छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के समक्ष आने वाली कठिनाइयाँ

308. श्री लालजी वर्मा:
श्री नीरज मौर्य:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र केंद्र सरकार की छात्रवृत्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर नए आवेदन और नवीनीकरण संबंधी आवेदन जमा नहीं कर पा रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छात्रवृत्ति राशि प्राप्त न होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदाय के कई छात्रों को शुल्क भुगतान करने में असमर्थता के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विगत तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले छात्रों को कोई वैकल्पिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें दो छात्रवृत्ति योजनाएं, नामतः कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस) और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शामिल हैं, मौजूदा योजना जिसमें दिशानिर्देशों के अध्यधीन उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मेधा-सह-योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर शामिल किया गया है। पिछले दो वर्षों में, पीएम-यूएसपी सीएसएसएस और जेकेएल के लिए पीएम-यूएसपी एसएसएस के तहत सभी समुदायों के लगभग 3.8 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

(घ): प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम विद्यालक्ष्मी), जो केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को वित्तीय बाधाओं के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। इस योजना के तहत, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों सहित सभी छात्रों को द्विपक्षीय-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज की छूट प्रदान करती है। एक लाख तक ऐसे नए छात्र जिन्हें शिक्षा ऋण पर कोई अन्य छात्रवृत्ति या ब्याज छूट नहीं मिल रही है, उन्हें यह ब्याज छूट मिलेगी। एक समर्पित ऑनलाइन मंच, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा विभाग पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना लागू कर रहा है। पीएम यूएसपी-सीएसआईएस योजना के तहत, उन सभी छात्रों को पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है जो अनुमोदित एनएएसी प्रत्यायित एचईआई/एनबीए के प्रत्यायित पाठ्यक्रमों से तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 4.5 लाख रुपये तक है। इस योजना के लिए छात्र लाभार्थियों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार के शिक्षा ऋण के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी फंड योजना (पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल) के तहत, 7.5 लाख रुपये तक के स्वीकृत शिक्षा ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है। गारंटी कवर आउटस्टैंडिंग डिफ़ॉल्ट के 75% तक है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत, शिक्षा ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम वर्ष प्लस एक वर्ष) के बाद 15 वर्ष तक है।

इस प्रकार, पीएम विद्यालक्ष्मी, पीएम-यूएसपी सीएसआईएस और पीएम यूएसपी सीजीएफएसईएल योजनाएं, विभिन्न छात्रवृत्तियों के साथ-साथ सभी योग्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण एचईआई में उच्च शिक्षा और अनुमोदित एचईआई में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करती हैं।

उपरोक्त सभी पहलों के परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2020-21 में 27.3 से बढ़कर 2022-23 में 29.5 (अनंतिम) हो गया है।
